

2020/00/56

न्यायालय लैण्ड रेकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.) सिरौही राज.

क्रमांक: कोर्ट/2020/ 3044

दिनांक 9-11-2020

राजस्व प्रा.पत्र. संख्या/118/2020

प्रेषिति :-

तहसीलदार
सिरौही

आपके तहसील कार्यालय सिरौही द्वारा जरिये पत्र क्रमांक भू.अ./2020/2715 दिनांक 30-9-2020 के संलग्न मौजा पाडीव पटवार हल्का पाडीव तहसील सिरौही की वर्तमान जमाबंदी संवत 2070-2073 के खाता संख्या 311 के प्राप्त प्रस्ताव मय राजस्व रेकॉर्ड जमाबंदी दस्तावेजात प्रतियों तथा पटवारी हल्का पाडीव की रिपोर्ट का गहनतापूर्वक अवलोकन व उस पर मनन करने के उपरान्त यह पाया कि जमाबंदी संवत 2070-2073 के खाता संख्या 311 में समस्त सहखातेदारों के 1/9 हिस्सा अंकित हैं जो गलत हैं। सेग्रीगेशन से पूर्व की जमाबंदी संवत 2070-73 के खाता संख्या 311 में प्रार्थी व अन्य खातेदारों के हिस्से अंकित नहीं थे जबकि जमाबंदी सेग्रीगेशन के दौरान जो हिस्से दर्ज हुये हैं वे त्रुटिपूर्ण हैं। पटवारी हल्का पाडीव द्वारा तैयार पेडीपत्रक अनुसार नरसा पुत्र मानाजी के तीन पुत्र कालू, सीता व गणेश हैं जिनमें से कालू फौत होने से उसके उत्तराधिकारी थानाराम, चन्दुलाल, भरतकुमार, आशा, ज्योति, रिकू व लेहरी कुल सात के नाम दर्ज हुये हैं। इस प्रकार उक्त भूमि में कालू, सीता व गणेश के 1/3, 1/3 हिस्से हैं। तथा कालू के सातों वारिसान के 1/21, 1/21 हिस्से बनते हैं जो सही हैं। उपरोक्तानुसार वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 311 में हिस्सों की शुद्धि की जाना उचित बताया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रतियो व पटवारी हल्का पाडीव की रिपोर्ट तथा आपकी अनुशंषा के आधार पर प्राप्त प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित होने से राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत उक्त प्रस्ताव को स्वीकार करते हुये आपको पुनःमूल प्रस्ताव मय राजस्व रेकॉर्ड के भेजकर आदेश दिये जाते हैं कि प्रस्तावानुसार वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 311 में हिस्सों की शुद्धि कर दर्ज/राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्ती कर जमाबंदी अपडेट कर पालना रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर इस न्यायालय को आवश्यक रूप से भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

लैण्ड रेकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरौही

